

2025/431

प्राचीन
25.7.2025

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

पतराम

बनाम

भंवरलाल आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 95 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
16.06.2025	<p>प्रार्थी हरिराम की तरफ से वकील श्री अर्जनलाल वर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा केलनिया के ख.नं. 126/1, 434, 435, 509/120 की 19.298 है। भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 16.07.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p> <p>वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थना पत्र से संबंधित सुनवाई डिमी हो चुका है इसलिए इस प्रकरण में किसी नर्सिमी की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 212 एक्ट नोचुआ खिलि ने कारिन सिमा जावा है। पत्रावली नम्बर ले कम ही जावा दाखिल दकरा हो।</p>	
16.7.2025	<p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p> <p>वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थना पत्र से संबंधित सुनवाई डिमी हो चुका है इसलिए इस प्रकरण में किसी नर्सिमी की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 212 एक्ट नोचुआ खिलि ने कारिन सिमा जावा है। पत्रावली नम्बर ले कम ही जावा दाखिल दकरा हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	

